श्री रामसेवक यावव: ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रभी मन्त्री महोदय ने बताया कि चूंकि दिल्ली से किसी दूसरे देश की सीमा नहीं मिलती इसलिए यहां से तस्करी में माल बाहर भेजने का प्रश्न नहीं उठता और फिर दूसरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि दिल्ली से पंजाब को काफी माला में यह वनस्पति घी चोरबाजारी में जाता है, तो पंजाब की सीमा दूसरे देश से मिली हुई है और इस तरह से पंजाब से वह घी वहां भेजा जाता है, इसकी खबर सरकार को है ?

Shri Shinde: We have not received any complaint to that effect.

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के चुनावों के लिए सरकारी शासन तन्त्र का प्रयोग

*182. श्री हुकम चन्द कछवायः श्री रामेश्वरानन्दः श्री रघुनाय सिंहः

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश विद्यान परिषद् के गत चुनावों में सरकारी शासन-तन्त्र (मशीनरी) का प्रयोग किया गया था; और
- (ख) यदि हां, तो इसका श्रयोग करने वाले लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): (a) Some allegations were received by the Election Commission about the use of Government machinery in connection with the last biennial elections to the Uttar Pradesh Legislative Council. Some of them were too vague for any action and some were reported baseless. Some cases have been referred to the Chief Electoral Officer and Chief Secretary of the State to find

out whether these allegations have any basis in facts. Their reports are awaited by the Election Commission.

(b) Does not arise.

श्री हुकम चन्द कछ्याय: मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने बताया कि कुछ शिकायतें हमें मिली हैं, यह मही है, तो वह कौन कौन भी शिकायतें हैं जो चुनाय के अधिकारियों को मिली हैं?

Shri C. R. Pattabhi Raman: I have got a long list here. There is reference to use of government vehicles and all that. The entire list is here. But as I said, this is being inquired into and we are awaiting the Election Commission's report.

श्री हुक न चन्द कछवाय: श्रीमन, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि इस चुनाव के ग्रन्दर जो सुरक्षा कोष का पैसा एक जित किया गया उस पैसे का कुछ मिनिस्टर लोगों द्वारा उपयोग किया गया।

Shri C. R. Pattabhi Raman: To the best of my knowledge, that is not the charge.

श्री प्रकाशबीर शास्त्री: मैं यह जानना चाहता हूं कि जो शिकायतें विधि मन्त्रालय को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के चुनाव में सरकारी तन्त्र के प्रयोग के सम्बन्ध में प्राप्त हुई हैं क्या अधिकांश शिकायतें इनमें से वह हैं कि जो मिनिस्टर यह चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने सरकारी गाड़ियों का और सरकारी साधनों का दुश्योग किया ? यदि हां, तो उन हे संबंध में निष्पक्ष जांच करने के लिए कौनसा तंत्र ग्राप इस्तेमाल करेंगे कि जिस से वास्तविकता का फ्ला लग सके ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : इसकी जांच का हक कमोशन को है स्रौर कमीशन ने जिन बातों को समझा कि उसकी जांच जरूरी है उसको गवर्नमेंट के पास भेजा है स्रौर चीफ एलेक्टोरल स्राफिसर के पास भी भेजा है। जब उनकी रिपोर्ट कमीशन के पास स्रायेगी तब कमीशन को मालूम होगा विश्विकायतें की गई हैं वह सही हैं या नहीं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मिनिस्टर के खिलाफ शिकायतें हैं...

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : ग्रगर ग्राप यह चाहते हों कि क्या क्या शिकायतें हैं तो उसकी फेहरिस्त मैं ग्रापको दे सकता हं

श्रध्यक्ष महोदय: वह कहते हैं चूकि उन एलेक्शनों में यह बात हुई जिनमें मिनिस्टर उम्मीदवार थे तो जब मिनिस्टर उम्मीदवार थे तो उनकी तहकीकात भी ग्रगर गवर्नमेंट को ही करना है तो सही न तीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे।

श्री गोपाल स्वरूप पाठकः उसकी तहकीकात की जिम्मेदारी एलेक्शन कमीशन की है। एलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट गवर्नमेंट से ही नहीं मांगी है, बल्कि एलेक्टोरल ग्राफिसर से भी मांगी है ग्रीर उनकी रिपोर्ट के ग्राने पर फिर एलेक्शन कमीशन को ग्रस्तियार होगा कि यह कोई ग्रीर तरीका ग्रस्तियार करना चाहें तो करलें...(वयवधान)...

Shri Dinen Bhattacharya: He is also an officer of the UP Government.

श्री प्रकाशबीर शास्त्री: ग्राप ने भी विधि मन्त्री से पूछा कि क्या कुछ शिकायत मिनिस्टरों के खिलाफ हैं लेकिन....

भ्रष्यक्ष महोदय: उन्होंने जवाब दिया कि इंडिपेडेंट मशीनरी एलेक्शन कमीशन है। उन्होंने एलेक्टोरेल ग्राफिसर से भी रिपोर्ट मांगी है उससे भी यह तहकीकात करा रहे हैं।

श्री प्रकाशबीर शास्त्री: मेरा प्रश्न यह था कि मिनिस्टरों के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं क्या।

श्री गोपाल स्वरूप पाठकः मैंने तो यह जवाब दिया कि जो शिकायतें हैं उनमें मिनि-स्टरों के नाम भी हैं श्रीर मैं सारी शिकायतों की फेहिरिस्त श्रापके सामने दे सकता हूं। Shri D. C. Sharma: Is it not a fact that some of the members of the Legislative Assembly in UP, mostly the Opposition Members, have sold their votes at black market rates....

Mr. Speaker: Order, order. I would not allow that question.

Shri D. C. Sharma: May I know what has been done in that connection?

Shri Surendranath Dwivedy: He means to say that the Congress Members are selling at the market rate; at the blackmarket rate the opposition only is selling.

Mr. Speaker: We ought to behave with greater responsibility. If all of us are thieves, there is no use of publicising it.

Shri Bhagwat Jha Azad: It is just a retort to the hon, Members to behave responsibly. I think this should be directed to them.

Mr. Speaker: This is directed to every Member, whoever he might be, and wherever he might be.

Shri Surendranath Dwivedy: It is not only in U.P. Is it not a fact that often the Government machinery is used for the purpose of elections and may I know whether Government is thinking of suitably amending the election law in order to prevent this happening all over the country?

Shri G. S. Pathak: The question related only to U.P. I have not made any enquiry from the Commission with regard to the happenings in other States. So far as the question whether the law will be amended or not, to be more correct whether Government is thinking of amending the law or not, is concerned, I would invite the hon. Member's attention to section 171(c) of the Penal Code which lays down that anyone who interferes with the freedom of the electoral process will be committing an offence which is punishable under the Penal Code.

श्री रामसेवक यादव: मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश के माल मन्त्री भौर उपगृह मन्त्री, जो भ्रागरा से चुनाक खड़ थे, तथा इतके अलाका उप-शिक्षा मन्त्रों जो लखनऊ-उन्नाव से इलेक्शन लड़े थे, उनके ख़िलाफ उत्तर प्रदेश कांग्रस के अध्यक्ष श्री: कम्खापित विपाठी ने भी सरकारी संस्थानों के उपयोग का आरोप लगाया था तथा चुनाव में गिनती के लिये भी आरोप लगाये?

श्री मोपाल स्वरूप पाठक : जितने ब्रास्तेष लगाये गये और जो इलेक्शन कमोशन के पास पहुंचे, हैं, उनके मुताल्वक मैंने श्राधी क्यान दिया है कि फहरिस्त दे दूगा, इसमें ग्राप देख लीजिये कि किस किस पर ग्रारोप लगाये गये हैं।

श्री रामसेवक यादव : फहरिस्त यहां रख-देंगे, लेकिन बताते क्यों नहीं?

श्रष्यक्ष महोदयः अगर उनके पास अलेहदा फहरिस्त न हो, तो मैं क्या कर सकता हूं। वह फहरिस्त में देख लेगे कि उनके खिलाफ़ हैं या नहीं।

Shri Bhagwat Jha Azad: Since appreciate the eagerness of the hon. Minister to have an impartial enquiry, may, I know whether, it falls under the purview of the Government or Election Commission exclusively to enquire into the matter? If it is under the purview of the Election Commission. does he want to see that the enquiry is made not by the electoral officer because in every State he is nominee of the State Government rather than somebody else? That is the point which hon. Members would like to know.

Shri G. S. Pathals: So far as the Government is concerned, there is a Covernment Servants' conduct rule prohibiting interference by the Government servants in the electoral process. I know of the Central rule. I believe that there is a similar rule for the States also. The Government can certainly take action under that rule if Government is convinced that somebody has braken that rule.

Shri Bhagwat Jha Azad: Is that a reply to my question?

Shri G, S. Pathak: I am answering the question, I have not completed it yet.

श्ची हुन्म चन्द कश्चनाय: आराप पहले अपने सहायक मन्द्री से पूछ लीजिये;वह कुछ-कह रहे हैं।

Shri G. S. Pathak: My hon, friend Shri Azad could have objection if I had sat down, and that might have shown that I had completed the answer. (Interruptions).

Shri Bhagwat Jha Azad: You are not answering the question. That is why I am objecting.

Shri G. S. Pathak: I know you are objecting to everything, I know that:

Shri Bhagwat Jha Azad; I object to a lawyer coming in Parliament and behaving in this manner. He ought to behave in a proper way. If you are a Minister it does not matter, you must know how you should behave in Parliament. This is not the Supreme Court: This Minister must know how to behave. How can he cast an aspersion that I am objecting to everything. Why should he do it in that manner?

Mr. Speaker: Would he sit down?

Shri Bhagwat Jha Azad; Yes, I am sitting down, but the Minister should behave better. This is not a law court for earning money,

श्री **बागकी**: सदन से बाहर निकाल दीचिये:। (व्यवस्थान)

श्रम्यक्ष महोवयः ग्रगर किसी विरोधी कीं बात होतीं; तोः उसको सजाः मिल्लीः । विधि मन्त्री को क्या श्रिक्कारः हैं कि इस त्रीके से बातः करें। मैं सदत्त के सामके रखता हैं किः विधि मन्द्री को निकास्त्र जासः। Shri Bhagwat Jha Agad: He must behave properly.

5775

Shri G. S. Pathak: May, I complete the answer, Sir?

Shri Bhagwat Jha Azad: Why should he cast aspersions like this, Mr. Speaker, I want to know. The Minister must know parliamentary manners.

Mr. Speaker: He has said enough, he must sit down now . . (Interruptions).

Shri Bhagwat Jha Azad: He has come to Parliament only a few months back, I am here for the last 12 years and I know things much better than the hon. Minister.

Mr. Speaker: If I had been allowed, I would have said something, but when Members take recourse to their own agitated minds and they give them out and have their own way, what can I do?

Shri Bhagwat Jha, Azad; I am sgrry.

Mr. Speaker: So many Members have said enough; there is nothing further that I have to say. If the Members want me to take action at any moment, they should leave it to me . . (Interruptions), There ought to be some end.

श्री बागड़ी: अध्युक्त महोद्य, अगुर आप एक्शन लेना चाहें तो वह बात सदन के सामने रखी जा सकती है। लेकिन अगर आप एक्शन लेना ही न चाहें तो यह तो कोई कायदे की बात नहीं है। जो गैर-कानूनी बात होती है, गैर-रस्मी बात होती है, चाहे वह किसी की तरफ से हो, उसके खिलाफ आफको एक्शन लेना चाहिये। चाहे उस बारे में एक्शन लेने के लिये आपका मन हो या न हो। सदन की मर्यादा को रखना है तो आपको ऐसा करना चाहिये।

श्रव्यक्षः महोध्यः मैंने श्रापकी बात सुन तो है.। श्रमरः कोई-मेम्बर-कसूर करतः हैश्रीर दूसरा उससे ज्यादा कर दे, तो मैं क्या कर एकता हूं। दूसरे मेम्बरों को यह हक है कि बहु ऐसे मामले को मेरे उसर छोड़ दें, मैं उसमें गलती करने वाले को रेप्रिमेंड करू या कुछ करूं।

श्री, वागड़ी: इसी, लिये, तो मैंने, आपको प्रेस. नहीं: किया, फरियाद की है, अम्प. इस वक्त मन्त्री को बचा-रहे हैं।

ग्रध्यक्ष महोक्यः ग्रन्छ। तो मन्त्री को बूचा रहा हूं, यह भी ठीक है।

Shri G. S. Pathak: I further wanted to say that the Election Commission is an independent body. The allegations made against the individuals concerned are before the Election Commission. Government cannot interefere with their working as under article 324 of the Constitution, that is an independent body. So far as Government is concerned, I have placed the position before the House.

Shri Surendranath Dwivedy: The question has not been answered. The simple question was whether the officer to hold the enquiry was a nominee of the State Government, whether the enquiry was conducted by the same officer or not.

Shri G. S. Pathak: I shall place the entire information which I have received from the Election Commission.

Mr. Speaker: The simple question is whether this enquiry has been held by the electoral officer who is a servant of the State Government.

Shri G. S. Pathak: I am not in a position to say whether the electoral officer, who is to make the enquire under the orders of the Election Commission is a government servant or not, I can enquire (Interruptions).

Mr. Speaker: The hon. Members are very well aware that though the Election Commission is an independent body, the machinery that it

uses is always from the State Governments; these electoral officers are servants of the State Governments. There is no doubt about Why it. should there be a question about it? Though there might be some might be from outside, most of the electoral officers are taken from the State Governments. They are State servants; there is no doubt about it. But then too, our Constitution has provided that it is an independent machinery because it is presided over by the Chief Election Commissioner who is certainly under Constitution an independent man.

श्री बागड़ी: ग्रध्यक्ष महोदय, इस सवाल के बारे में जो विधि मन्त्री का घोर अज्ञान है उस पर ग्राप कोई रोक लगायेंगे ग्रथवा नहीं।

Agricultural Credit Corporations

*183. Shri Vishwa Nath Pandey: Shri Warior: Shri Eswara Reddy: Shri Ramachandra Ulaka: Shri Dhuleshwar Meena: Shri Dighe:

Will the Minister of Food, Agriculture, Community Development Cooperation be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1595 on the 10th May, 1966 and state:

- (a) whether the question of setting up Agricultural Credit Corporations in the States has since considered by Government; and
- (b) if so, the decision taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) and (b). The matter is still under consideration.

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : मैं जानना चाहता हं कि क्या समय या अवधि की भी कोई सीमा है कि कब तक इस पर सरकार निर्णय ले लेगी।

श्री इयामधर मिश्र : सरकार ग्रभी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बतला सकती। जांच हो रही है। ड्राफ्ट बिल बन रहा है। ज्यों ही फाइनेन्स मिनिस्टी उसे बना देगी, वह सदन के सामने ग्रायेगा ।

श्री विद्वनाथ पाण्डेय : क्या सरकार इस के सम्बन्ध में प्रदेश सरकारों से कोई पूछताछ करेगी।

श्री श्यामघर मिश्र : प्रादेशिक सरकारों से पूछताछ की जा चुकी है इस सम्बन्ध में। एक कान्फरेंस हुई थी जिसमें चीफ़ मिनिस्टर्स भी ग्राये थे भौर मिनिस्टर ग्राफ़ ऐग्रिकल्चर भौर कोग्रापरेशन भी थे। उनसे पूरी पूछताछ हो चुकी है।

Shrimati Ramdulari Sinha: I know whether Government has reseived any protest against setting up of such Agricultural Credit Corporation and, if so, from which States, and may I know whether it is a fact that such Credit Corporation is going to affect the co-operative structure?

Shri Shyam Dhar Misra: No. Sir. As a matter of fact, this attempt will be to strengthen ultimately the cooperative structure, and we have got a unanimous recommendation all the State Governments for acceptance of this scheme.

श्री श्रोंकार लाल बेरवा: मैं जानना चाहता हं कि कितनी भाबादी के ऊपर यह निगम बनाया जायेगा, यह दस हजार कृषियों पर होगा या पांच हजार कृषियों पर होगा।

श्री इयामधर मिश्र: यह नियम ग्राबादी के ऊपर नहीं बनाया जायेगा। पांच राज्यों में यह निगम बनाया जा रहा है जिनमें ग्रसम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा ग्रीर राजस्थान के इलाके हैं ग्रीर यह कोग्रापरेटिव स्ट्रक्चर के जरिये ऋण देगा। यह देखना पडेगा कि कहां पर कोग्रापरेटिव स्टक्चर बहुत बीक है. उन